न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— हरबिन्दर डिल्लन सिंह (RAS)

वादपत्र संख्या :— 105/2012

1. जगदीश आयु 45 वर्ष आ0 श्री रामरतन जी जाति तैली निवासी गोल चबूतरा वार्ड नं0 10 के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—वादी

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 55 वर्ष आ0 श्री रामरतन जाति तैली निवासी छांवछ तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. श्रीमति कैलाश बाई आयु 58 वर्ष पुत्री रामरतन पत्नि केसरीलाल जाति तैली निवासी तैलियों का मौहल्ला ग्राम सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0
3. प्रेम बाई आयु 52 वर्ष पुत्री रामरतन पत्नि कुंजबिहारी राठौर जाति तैली निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
4. गीता बाई आयु 49 वर्ष पुत्री रामरतन पत्नि बाबूलाल जाति तैली निवासी जयस्थल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
5. ललिता बाई आयु 42 वर्ष पुत्री रामरतन पत्नि अणदीलाल जी जाति तैली निवासी नमाना तहसील बून्दी जिला बून्दी राज0
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब के0पाटन जिला बून्दी राज0

—प्रतिवादीगण

वाद— अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1—वादी की ओर से श्री विनय कुमार सक्सैना, एडवोकेट
2—प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

—::निर्णय ::— दिनांक— 23.03.2021

1— वादीगण के द्वारा दिनांक 19.06.2012 को वाद अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

2— वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1885 रकबा 1.02 है0 ग्राम कस्बा के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि के पुराने खसरा सं. 1247 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा थे। उक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदार मोगरी बाई उर्फ नोगरी दुख्तर धूलिया कौम तेली थी जो वादी की

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

नानी थी। मोगरी बाई उर्फ नोगरी का देहांत दिनांक 08.08.1991 को हो गया है। नोगरी के एक पुत्री कस्तुरी थी जिसका भी देहांत नोगरी के देहांत के पूर्व ही सन् 1972 में हो गया है। कस्तुरी बाई वादी की माता है तथा प्रतिवादी कम 1 रामस्वरूप कस्तुरी बाई का पुत्र है तथा प्रतिवादी कम 2 लगायत 5 कस्तुरी बाई की पुत्रियां है। वादी की मोगरी बाई उर्फ नोगरी ने बेवा श्री धूलिया जी जाति तैली निवासी के0 पाटन ने उक्त वर्णित कृषि भूमि ख.सं. 1885 रकबा 1.02 है0 जिसके पुराने ख.सं. 1247 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा थे को वादी जगदीश को दिनांक 05.07.1991 को पंजीकृत वसीयत निष्पादित कर दी थी। मोगरी बाई उर्फ नोगरी की मृत्यु दिनांक 08.08.1991 तक उक्त भूमि की खातेदारी काबिज रही तथा उनकी मृत्यु के पश्चात पंजीकृत वसीयत के आधार पर वादी बहैसियत खातेदार काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का वादी पंजीकृत वसीयत के आधार पर कानूनन खातेदार बन गया है किन्तु मोगरी बाई उर्फ नोगरी के देहांत के पश्चात किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना ही नामा0 सं0 688 दिनांक 18.12.2004 से गलत तौर पर कस्तुरी के वारिसान वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के नाम उक्त भूमि का नामा0 खोलने का आदेश दिया जिसका राजस्व अधिकारियों को कोई अधिकार नही था। नामा0 तस्दीक करने से पूर्व वादी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया। इस कारण वादी की सुनवाई करने के अधिकार का हनन हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का उक्त भूमि में कोई अधिकार नही है। उनका उक्त भूमि पर कब्जा भी नही है। वादी उक्त भूमि पर मोगरी बाई उर्फ नोगरी की मृत्यु की दिनांक 08.08.1991 के पश्चात से ही निरन्तर अब तक बतौर खातेदार कब्जा चला आ रहा है। कस्तुरी का देहांत मोगरी बाई उर्फ नोगरी के जीवनकाल में ही हो जाने से उनको इस भूमि में कोई हक प्राप्त नही हुये थे। वादी दिनांक 08.08.1991 से निरन्तर शांतिपूर्वक प्रतिवादीगण की जानकारी में विवादित कृषि भूमि पर काबिज चले आने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी कृषि भूमि का खातेदार बन चुका है। यह कि कृषि भूमि ख.सं. 1885 रकबा 1.02 है0 जिसके पुराने ख.सं. 1247 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा विस्थित ग्राम कस्बा के0 पाटन जिला बून्दी को स्वयं को खातेदार घोषित करवाने एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 का नाम विलोपित करने का अधिकारी है। प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 कृषि भूमि ख. सं. 1885 रकबा 1.02 है0 विस्थित ग्राम कस्बा के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी पर जमाबन्दी में गलत अंकन का नाजायज लाभ उठाकर वादी को बेदखल करने की चेष्ठा कर रहे है। वादी शांत एवं वैध रूप से उक्त भूमि पर काबिज है तथा उक्त भूमि को अन्य को रहन, बैचान एवं भारग्रस्त करने पर भी आमादा है यदि उक्त भूमि से वादी को बलपूर्वक बेदखल कर दिया व भूमि को अन्य व्यक्तियों को हस्तानान्तरित कर दिया व भारग्रस्त कर तो वादी को भारी अपूर्णनीय क्षति पंहुचेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही होगी।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

3– वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4– बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनें तर्क पेश किये। दौराने बहस हमने विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथा वर्णित तथ्य, वॉच्छित अनुतोषादि, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर सम्यक विचार किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से अपनी नानी मोगरी बाई द्वारा आलेखित वसीयत के अनुसार वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जानें का अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य वसीयतनामा दिनांक 05.07.1991 का अवलोकन किया गया। वसीयतकर्ता मोगरीबाई पत्नी धूल्या जाति तेली नें ग्राम के0पाटन की आराजी ख0नं0 1247 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि अपनी पुत्री कस्तूरी बाई के पुत्र जगदीश के नाम आलेखित की गई है। ख0नं0 1247 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि की नोगरी बाई खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित थी, ख0नं0 1247 के नवीन ख0नं0 1885 रकबा 1.02 हे0 कायम किये गये जो पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी सं0 2056–59 ग्राम के0पाटन खाता नं0 362 में ख0नं0 1885 रकबा 1.02 हे0 भूमि खातेदार नोगरी दुख्तर धूल्या की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी, जो फोती नामान्तरकरण सं0 688 दिनांक 18.12.2004 से मृतक नोगरी के स्थान पर रामस्वरूप, जगदीश पुत्रान रामरतन व केलाशबाई प्रेमबाई गीताबाई ललिताबाई पुत्रीयां रामरतन के नाम दर्ज हुई। वादी का मुख्य तर्क यह है कि मोगरीबाई द्वारा वादगत भूमि की वसीयत उसके नाम की गई थी, जिससे उक्त भूमि का एकमात्र खातेदार वादी को घोषित किया जाकर शेष का नाम खातें से डिलीट किया जावें। उक्त क्रम में सर्वप्रथम राजस्व रिकॉर्ड एवं वसीयत में वसीयतकर्ता का नाम ही भिन्न–भिन्न है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार का नाम नोगरी अंकित है जबकि वसीयतकर्ता का नाम मोगरी अंकित है। अब यंहा प्रश्न यह उठता है कि क्या नोगरी या मोगरी एक ही महिला है ? किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि नोगरी व मोगरी दोनों नाम एक ही महिला के है। वादी की ओर से जो संशोधित मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें मोगरी बाई उर्फ नोगरीबाई पत्नी दुलीलाल अंकित है। वादी की ओर से पूर्व में बनाया गया मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली में प्रस्तुत क्यों नहीं किया, विचारणीय बिन्दु है साथ ही नोगरी एवं मोगरी दोनों नाम एक ही महिला के होनें के सम्बन्ध में संदेह पैदा करता है। इस कारण खातेदार नोगरी ने ही उक्त वसीयत आलेखित की है, प्रमाणित नहीं होता है। वसीयत में इस बाबत् भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है या वसीयतकर्ता की स्वयं की स्वअर्जित भूमि है। वसीयत की सत्यता जांचनें के सम्बन्ध में वादी तहसीलदार के

उपखण्ड अधिकारी
के पाटन (बून्दी)

समक्ष वसीयत प्रस्तुत करता, तद्उपरान्त तहसीलदार एलआरएक्ट की धारा 135(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए, वसीयत पर विधि द्वारा स्थापित सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश पारित करता।

चूंकि प्रकरण में प्रस्तुत वसीयत जो कि वाद की मूल विषय वस्तु है, उसकी प्रमाणिकता पर ही संदेह है तथा वसीयतकर्ता एवं खातेदार के नाम में भिन्नता होनें से संशय उत्पन्न होता है, जिससे इस न्यायालय द्वारा वादी को उक्त वसीयत के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं पाते है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री ज़ारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23–03–2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
के0 पाटन

(हरबिन्दर डिल्लन सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत इजलास–
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

हरबिन्दर डिल्लन सिंह
आर.ए.एस.

जगदीश **V/S** **रामस्वरूप वगै0**

वाद–अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा संख्या :: 105/2012

वादीगण की ओर से श्री विनय कुमार सक्सैना, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से .. .. की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 23.03.2021 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

" चूंकि प्रकरण में प्रस्तुत वसीयत जो कि वाद की मूल विषय वस्तु है, उसकी प्रमाणिकता पर ही संदेह है तथा वसीयतकर्ता एवं खातेदार के नाम में भिन्नता होनें से संशय उत्पन्न होता है, जिससे इस न्यायालय द्वारा वादी को उक्त वसीयत के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। "

नीज.....ग.....मुबलिक.....ग.....बाबत.....ग..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....ग.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुल वादी तक .....ग.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.03.2021 को जारी की गई।

मोहर

(हरबिन्दर डिल्लन सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन